कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांकःनपाश्रीमा / 2022–23 / 4690 दिनांकः 18/11/2022

एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 18.11.2022 को दोपहर 3.00 बजे नगर पालिका श्रीमाधोपुर में आहूत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार 08 (आठ) प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया। जिसमें निम्नानुसार एम्पावर्ड समिति के सदस्यो की उपस्थिति रही :–

1. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(हरिनारायण)	(अध्यक्ष)	उपस्थित।
2. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(रजत जैन)	(सदस्य सचिव)	उपस्थित।
3. श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर	(मो. अजहर जाटू)	(सदस्य)	उपस्थित।
4. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(लोकेश निठारवाल)	(सदस्य)	उपस्थित।
5. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(रक्षपाल स्वामी)	(विशेष आमंत्रित सदस्य)	अनुपस्थित।
6. श्रीमान लेखा प्रभारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(निश्चल बनर्जी)	(विशेष आमंत्रित सदस्य)	अनुपस्थित।

उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त समिति की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से समिति के समक्ष निम्न प्रकरण / एजेण्डा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखे गये :–

1. **श्रीमती आशा चौधरी पत्नि श्री रामचन्द्र सिंह निवासी वार्ड नं. 22 न्यू कोर्ट के पास श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर द्वारा खसरा नं. 2900/682 रकबा 0.0900 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 683 रकबा 0.3700 हैक्टेयर मे से 3555.00 वर्गमीटर कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.4455 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ "श्रीहरि एनक्लेव" योजना के ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचार/निर्णय :–** अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्रीमती आशा चौधरी पत्नि श्री रामचन्द्र सिंह निवासी वार्ड नं. 22 न्यू कोर्ट के पास श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर द्वारा खसरा नं. 2900/682 रकबा 0.0900 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 683 रकबा 0.3700 हैक्टेयर मे से 3555.00 वर्गमीटर कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.4455 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ "श्रीहरि एनक्लेव" योजना के ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 13.09.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार 07 दिवस में आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना 01 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3710 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा

श्रीमान तहसीदार महोदय, श्रीमाधोपुर को आवेदित भूमि के संबंध में प्रारूप (6) में सहमति अथवा आक्षेप हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर के पत्रांक 676 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा कृषि भूमि के अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने हेतु प्रारूप (6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि किसी निर्बधित प्रवर्ग में नही है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश आवेदित भूमि पर नही है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3881—85 दिनांक 22.09.2022 के द्वारा प्रारूप—11 में उपरोक्त आवेदित भूमि के कृषि भूमि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90 (क) के आदेश जारी किये गये। उपरोक्त 90—(क) आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार महोदय, द्वारा उपरोक्त आवेदित भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में नगर पालिका के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3887 दिनांक 22.09.2022 के द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट में श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर को उपरोक्त आवेदित भूमि के कृषि भूमि के गैर कृषिक प्रयोजनार्थ "श्रीहरि एनक्लेव" योजना के ले—आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर के पत्रांक टीपीएसके/1600/316 /श्रीमाधोपुर 2022/1415 दिनांक 10.10.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्याधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ "श्रीहरि एनक्लेव" योजना के ले—आउट प्लान अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले—आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबंध में तकनिकी राय प्रदान की गई। जिसकी पालना में आवेदक द्वारा उपरोक्त पत्र में वर्णित समर्पित की जाने वाली भूमि के संबंध में निःशुल्क समर्पणनामा, योजना के आन्तरिक विकास होने तक 12.5 प्रतिशत पट्टे नगर पालिका में रहन रखे हेतु शपथ पत्र एवं उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्तो की पालना हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र एवं सर्मपणनामा प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर खसरा नंबर 681 सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आता है इस सार्वजनिक रास्ते की चौडाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है। राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर खसरा नंबर 681 के दोनो तरफ जहां उत्तर में खसरा नंबर 634 के जमांबदी अनुसार खातेदारो (श्री महावीर मंहत इत्यादि) व दक्षिण में खसरा नंबर 2900/682, 683, 684 की खातेदार मुझ आशा चौधरी दोनो तरफ के खातेदारो ने मिल कर दोनो तरफ से बराबर भूमि का योगदान देकर आपसी सौहार्द व आवागमन की सुगमता को ध्यान में रखकर इस स्थान पर रास्ते खसरा नंबर 681 की चौडाई 30 फीट कर दी है। उक्त रास्ते की चौडाई 30 फीट करने के पश्चात मुझ आशा चौधरी ने अपनी खातेदारी भूमि में से 10 फीट चौडाई की भूमि इस रास्ते मे अतिरिक्त छोडी है। जिसके पश्चात उक्त वर्णित रास्ता 40 फीट चौडा हो गया है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि उक्त ले—आउट के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार) के संबंध में दिये गये निर्देश दिनांक 12.01.2017, 08.08.2017, 14.10.2021, 15.12.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय—समय पर जारी अन्य आदेशो की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशो

की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा खसरा संख्या 2900/682 रकबा 0.0900 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 683 रकबा 0.3700 हैक्टेयर मे से 3555.00 वर्गमीटर कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.4455 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि के गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ "श्रीहरि एनक्लेव" योजना का ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

2. **श्री रामदीन चुलेट पुत्र श्री भगवान सहाय जी, श्री गोपाल कृष्ण, श्री महेन्द्र पुत्र श्री मदनलाल जी, श्री महेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नाथुलाल चुलेट वार्ड नं. 27, स्टेशन रोड श्रीमाधोपुर स्वयं के के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत आवासीय उपयोग पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णयः–** अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया श्री रामदीन चुलेट पुत्र श्री भगवान सहाय जी, श्री गोपाल कृष्ण, श्री महेन्द्र पुत्र श्री मदनलाल जी, श्री महेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नाथुलाल चुलेट वार्ड नं. 27, स्टेशन रोड श्रीमाधोपुर द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के तहत आवासीय उपयोग पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 05.01.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना का प्रकाशन आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 15.03.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नही है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान–2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्व हो रहा है, आवेदित भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नं. 557 गैरमुमकिन आबादी में दर्ज है, आवेदित भूमि अकृषि भूमि है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं सीटी सर्वे रिकार्ड अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व एवं कब्जा भी सिद्व हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत आवासीय उपयोग पट्टा क्षेत्रफल 720.62 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्चे पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा आवेदक श्री रामदीन चुलेट पुत्र श्री भगवान सहाय जी, श्री गोपाल कृष्ण, श्री महेन्द्र पुत्र श्री मदनलाल जी, श्री महेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नाथुलाल चुलेट वार्ड नं. 27, स्टेशन रोड श्रीमाधोपुर द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर

CamScanner

पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत आवासीय उपयोग पट्टा क्षेत्रफल 720.62 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

3. **नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त खसरा संख्या 247, 249, 250/1, 250/2, 248, 252 कुल खसरे 06 कुल रकबा 1.69 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि से गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ "प्रेम नगर" योजना कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ का ले–आउट प्लान के अनुमोदन पर विचार/निर्णय :–** अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही करते हुए खसरा संख्या 247, 249, 250/1, 250/2, 248, 252 कुल खसरे 06 कुल रकबा 1.69 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का गैर–कृषिक प्रयोजनो के लिये उपयोग किये जाने के कारण उक्त भूमि में अधिकारो और हित को पर्यवसिन कर राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमो से मुक्त निहित करने हेतु प्रारूप–(12) में सम्बन्धित खातेदारो को नोटिस एवं प्रारूप–(13) में 07 दिवस की आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना जारी 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई एवं प्रारूप–(13) की एक प्रति सम्बन्धित तहसीलदार महोदय को भेजकर उक्त वर्णित भूमि के कृषि भूमि के गैर–कृषिक उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने और भूमि पर अभिधृति अधिकारो को निर्वापित करने के संबंध में आक्षेप / सहमति से सूचित करने हेतु लिखा गया। उक्त आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना पर निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। श्रीमान तहसीलदार महोदय के पत्रांक 677 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा 90 (क) सुओमोटो किये जाने हेतु प्रारूप–(6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि किसी निर्बाधित प्रवर्ग में नही है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश उक्त भूमि पर नही है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3747–49 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा प्रारूप–(11) में उक्त भूमि के कृषि भूमि से गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90(क) सुओमोटो आदेश जारी किये गये एवं एक प्रति सम्बन्धित खातेदारो को सूचनार्थ प्रेषित की गई। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3906 दिनांक 22.09.2022 के द्वारा श्रीमान उप/ जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर को उक्त भूमि के संबंध में ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर के पत्रांक टीपीएसके.1600/श्रीमाधोपुर/2022/1417 दिनांक 13.10.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्यधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ **"प्रेम नगर"** योजना के अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले–आउट प्लान समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबध में तकनिकी राय प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि उक्त ले–आउट के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार) के संबंध में दिये गये निर्देश दिनांक 12.01.2017, 08.08.2017, 14.10.2021, 15.12.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय–समय पर जारी अन्य आदेशो की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

18/11/2022

CamScanner

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशो की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा 247, 249, 250/1, 250/2, 248, 252 कुल खसरे 06 कुल रकबा 1.69 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि के गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ **"प्रेम नगर"** योजना का ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4. **नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त खसरा संख्या 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 220, 239, 240, 242/1, 242/2, 243/1, 243/2, 244, 245 कुल खसरे 15 कुल रकबा 1.8600 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि से गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ "राधा नगर" योजना कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ का ले–आउट प्लान के अनुमोदन पर विचार/निर्णय :–** अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही करते हुए खसरा संख्या 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 220, 239, 240, 242/1, 242/2, 243/1, 243/2, 244, 245 कुल खसरे 15 कुल रकबा 1.8600 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का गैर–कृषिक प्रयोजनो के लिये उपयोग किये जाने के कारण उक्त भूमि में अधिकारो और हित को पर्यवसिन कर राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमो से मुक्त निहित करने हेतु प्रारूप–(12) में सम्बन्धित खातेदारो को नोटिस एवं प्रारूप–(13) में 07 दिवस की आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना जारी 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई एवं प्रारूप–(13) की एक प्रति सम्बन्धित तहसीलदार महोदय को भेजकर उक्त वर्णित भूमि के कृषि भूमि के गैर–कृषिक उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने और भूमि पर अभिधृति अधिकारो को निर्वापित करने के संबंध में आक्षेप / सहमति से सूचित करने हेतु लिखा गया। उक्त आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना पर निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। श्रीमान तहसीलदार महोदय के पत्रांक 679 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा 90 (क) सुओमोटो किये जाने हेतु प्रारूप–(6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि किसी निर्बाधित प्रवर्ग में नही है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश उक्त भूमि पर नही है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3744–46 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा प्रारूप–(11) में उक्त भूमि के कृषि भूमि से गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90(क) सुओमोटो आदेश जारी किये गये एवं एक प्रति सम्बन्धित खातेदारो को सूचनार्थ प्रेषित की गई। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3904 दिनांक 22.09.2022 के द्वारा श्रीमान उप/ जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर को उक्त भूमि के संबंध में ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर के पत्रांक टीपीएसके.1600/श्रीमाधोपुर/2022/1423 दिनांक 13.10.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्यधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ **"राधा नगर"** योजना के अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले–आउट प्लान समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबध में तकनिकी राय प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि उक्त ले–आउट के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार) के संबंध में दिये गये निर्देश दिनांक 12.

01.2017, 08.08.2017, 14.10.2021, 15.12.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय–समय पर जारी अन्य आदेशो की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशो की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 220, 239, 240, 242/1, 242/2, 243/1, 243/2, 244, 245 कुल खसरे 15 कुल रकबा 1.8600 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि के गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ **"राधा नगर"** योजना का ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5. **नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त खसरा संख्या 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264/1, 264/2 कुल खसरे 09 कुल रकबा 1.2800 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि से गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ "श्याम नगर" योजना कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ का ले–आउट प्लान के अनुमोदन पर विचार/निर्णय :–** अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही करते हुए खसरा संख्या 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264/1, 264/2 कुल खसरे 09 कुल रकबा 1.2800 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का गैर–कृषिक प्रयोजनो के लिये उपयोग किये जाने के कारण उक्त भूमि में अधिकारो और हित को पर्यवसिन कर राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमो से मुक्त निहित करने हेतु प्रारूप–(12) में सम्बन्धित खातेदारो को नोटिस एवं प्रारूप–(13) में 07 दिवस की आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना जारी 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई एवं प्रारूप–(13) की एक प्रति सम्बन्धित तहसीलदार महोदय को भेजकर उक्त वर्णित भूमि के कृषि भूमि के गैर–कृषिक उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने और भूमि पर अभिधृति अधिकारो को निर्वापित करने के संबंध में आक्षेप / सहमति से सूचित करने हेतु लिखा गया। उक्त आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना पर निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। श्रीमान तहसीलदार महोदय के पत्रांक 678 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा 90 (क) सुओमोटो किये जाने हेतु प्रारूप–(6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि किसी निर्बाधित प्रवर्ग में नही है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश उक्त भूमि पर नही है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3741–43 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा प्रारूप–(11) में उक्त भूमि के कृषि भूमि से गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90(क) सुओमोटो आदेश जारी किये गये एवं एक प्रति सम्बन्धित खातेदारो को सूचनार्थ प्रेषित की गई। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3905 दिनांक 22.09.2022 के द्वारा श्रीमान उप/ जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर को उक्त भूमि के संबंध में ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर के पत्रांक टीपीएसके. 1600/श्रीमाधोपुर/2022/1421 दिनांक 13.10.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्यधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ **"श्याम**

18/11/22

18/11/2022

नगर" योजना के अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले–आउट प्लान समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबध में तकनिकी राय प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि उक्त ले–आउट के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार) के संबंध में दिये गये निर्देश दिनांक 12.01.2017, 08.08.2017, 14.10.2021, 15.12.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय–समय पर जारी अन्य आदेशो की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशो की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264/1, 264/2 कुल खसरे 09 कुल रकबा 1.2800 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि के गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ **"श्याम नगर"** योजना का ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

6. **नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड में नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज खसरा संख्या 247/2669, 253, 254, 265, 155, 269 कुल खसरे 06 कुल रकबा 1.7863 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि से गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ "देव नगर" योजना के ले–आउट प्लान के अनुमोदन पर विचार/निर्णय :–** अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही करते हुए खसरा संख्या 247/2669, 253, 254, 265, 155, 269 कुल खसरे 06 कुल रकबा 1.7863 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर भूमि पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड मे नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम भूमि दर्ज है। मौके पर वर्तमान मे उक्त खसरों में सधन आबादी बस चुकी है। जिस कारण नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 39.08 दिनांक 22.09.2022 के द्वारा श्रीमान उप/ जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर को उक्त भूमि के संबंध में ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर के पत्रांक टीपीएसके.1600/श्रीमाधोपुर/2022/1419 दिनांक 13.10.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्यधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ **"देव नगर"** योजना के अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले–आउट प्लान समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबध में तकनिकी राय प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि उक्त ले–आउट के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार) के संबंध में दिये गये निर्देश दिनांक 12.01.2017, 08.08.2017, 14.10.2021, 15.12.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय–समय पर जारी अन्य आदेशो की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

18/11/22

13/11/2022

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशो की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा 247/2669, 253, 254, 265, 155, 269 कुल खसरे 06 कुल रकबा 1.7863 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि के गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ **"देव नगर"** योजना का ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7. **श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल अग्रवाल वार्ड नं. 17 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर में स्वयं के स्वामित्व के व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 44.05 वर्गगज पर व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति के अनुमोदन पर विचार / निर्णय :–** अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल अग्रवाल वार्ड नं. 17 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर में स्वयं के स्वामित्व के व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 44.05 वर्गगज पर व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 28.10.2022 को प्रस्तुत किया गया । जिस पर नियमानुसार 07 दिवस में आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 09.11.2022 की व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति हेतु तकनिकी मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान–2031 में व्यावसायिक आरक्षित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.11 (9) नविवि/2020 दिनांक 31.03.2022 के अनुसार राजस्थान भवन विनियम 2020 में संशोधित/ पुर्नस्थापित/ अतिरिक्त जोडे गये प्रावधान अनुसार समस्त चौडाई की सडको पर स्थित 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डो पर अग्र सेटबैक अनिवार्य नही होगा। उक्त वर्णित संशोधन एवं राजस्थान विनियम 2020 के प्रावधानो अनुसार उक्त आवेदित भूखण्ड पर शुन्य सैटबैक छोडते हुए अधिकतम उचाई 8 मीटर तक उक्त भूखण्ड पर आवेदित व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति (भूतल, प्रथम तल) अनुज्ञेय की जा सकती है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार भूखण्ड पर आवेदक का स्वामित्व सिद्व हो रहा है। आवेदक द्वारा उक्त निर्माण स्वीकृति के संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 एवं राजस्थान भवन विनियम 2020 की पूर्ण पालना किये जाने बाबत् शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त अन्य भमि पर आवेदक द्वारा कोई निर्माण नही किया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा आवेदक श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल अग्रवाल वार्ड नं. 17 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर में स्वयं के स्वामित्व के उक्त आवेदित भूखण्ड पर शुन्य सैटबैक छोडते हुए अधिकतम उचाई 8 मीटर तक उक्त भूखण्ड पर आवेदित व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति (भूतल, प्रथम तल) जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

18/11/22

18/11/2022

8. **प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 की तैयारियो एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार :–** उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के प्रचार–प्रसार हेतु शहर के प्रमुख स्थानो पर प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 से सम्बन्धित होर्डिंग लगवाते हुए एवं वार्डवाईज टीम गठित कर घर–घर पम्पलेट बटवाये जा रहे है। शहर के मुख्य समाचार पत्रो के माध्यम से 02 अक्टुबर 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूचना से अवगत हो सके। वर्तमान में नगर पालिका श्रीमाधोपुर में विभिन्न प्रकार के पट्टो, नामान्तरण, निर्माण स्वीकृति, उप–विभाजन, पुर्नगठन, ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं भू–उपयोग परिवर्तन आवेदन के लगभग 1350 पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। जिन पर त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए पालिका द्वारा 840 पट्टे जारी किये जा चुके है तथा शेष प्रकरणो को निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ है।

अतः उक्त प्रकरण में बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड कमेटी के उपस्थित सदस्यो द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के दौरान आमजन को अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूक कर अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगो से पट्टो के लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

18/11/2020

(हरिनारायण)
अध्यक्ष
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(रजत जैन)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

18/11/2022

(मो. अजहर जाटू)
उप/जिला नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग सीकर

(लोकेश तिवारवाल)
कनिष्ठ अभियन्ता
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

CamScanner